न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 20/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड।

बनाम

ऋणी

1. धनराज पुत्र रामगोपाल
निवासी 100, कोठारी मौहल्ला, बांसखेड़ा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक–304505 राजस्थान।

सहऋणी एवं रहनकर्त्ता

2. ज्योति देवी पत्नी धनराज
निवासी 100, कोठारी मौहल्ला, बांसखेड़ा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक–304505 राजस्थान।

यहां भी...
ज्योति देवी
शॉप नम्बर 14, बेसमेंट ऑफ लक्शीस कॉम्प्लेक्स, वार्ड नम्बर 14, खसरा नम्बर 776/1, प्लॉट नम्बर 18, खेतड़ी मोड़, नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान।

जमानती

3. महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र सीताराम सैनी
निवासी ढ़ाणी फिरासवाली, नाथा की नांगल, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर–332711, राजस्थान।

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांक: 13-5-, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **धनराज, ज्योति देवी, महेन्द्र कुमार सैनी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **शॉप नम्बर 14, बेसमेंट ऑफ लक्शीस कॉम्प्लेक्स, वार्ड नम्बर 14, खसरा नम्बर 776/1, प्लॉट नम्बर 18, खेतड़ी मोड़, नीमकाथाना, जिला सीकर राजस्थान, जिसकी नाप 13.86 वर्गगज मालिकाना हक ज्योति देवी का है एवं जिसकी चारों सीमाएं– पूर्व में ऑपन भूमि, पश्चिम में कॉम्पलेक्स की दीवार, उत्तर में कॉम्पलेक्स की दीवार, दक्षिण में रोड़ है,** को बंधक रखकर

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

6,50,000/-रूपये (अक्षरे रूपये छः लाख पच्चास हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 06.07.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 06.07.2018 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण धनराज, ज्योति देवी, महेन्द्र कुमार सैनी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक अचल समत्ति शॉप नम्बर 14, बेसमेंट ऑफ लक्शीस कॉम्प्लेक्स, वार्ड नम्बर 14, खसरा नम्बर 776/1, प्लॉट नम्बर 18, खेतड़ी मोड़, नीमकाथाना, जिला सीकर राजस्थान, जिसकी नाप 13.86 वर्गगज मालिकाना हक ज्योति देवी का है एवं जिसकी चारों सीमाएं- पूर्व में ऑपन भूमि, पश्चिम में कॉम्पलेक्स की दीवार, उत्तर में कॉम्पलेक्स की दीवार, दक्षिण में रोड़ है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 13-5- 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner